(14) 155

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 12/11/, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application of Shri/Smt/~~Kum~~ Praveen Jain under the Right to Information Act, 2005.

*****

The undersigned is directed to forward herewith an online application dated 06/11/2013 under the RTI Act, 2005 of Shri/Smt/~~Kum~~ Praveen Jain (received in this Ministry on 06/11/2013 /by transfer from Official Language Division for providing information, as the requested information pertains to/more closely related to the functions of the said Division. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIO/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. The applicant has paid the requisite fee of Rs.10/- vide ~~Receipt No.~~ online dated ...../..../2013 (copy enclosed)/ not paid the fee since he claims to/belongs to the Below ~~Poverty Line (BPL) Category.~~

Encl: As above.

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To
The Director (Official Language)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt/~~Ms~~ Praveen Jain
103-A, Adishwar C.H.S, Sector-9A,
Vashi, Navi Mumbai - 400703

(He/She is requested to contact the above-mentioned CPIO/Public Authority for further information in the matter).

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	MHOME/R /2013/61633	**Date of Receipt :**	06/11/2013
Type of Receipt :	Online Receipt	**Language of Request :**	English
Name :	Praveen Jain	**Gender :**	Male
Address :	103A, Adishwar CHS, Sector-9A, Vashi, Navi Mumbai , Pin:400703		
State :	Maharashtra	**Country :**	India
Phone No. :	Not Provided	**Mobile No. :**	+91-9819983708
Email :	cs.praveenjain@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Not Provided	**Education Status :**	Not Provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Mode(s) of information Supply :	Hard Copy	**Request Pertains to :**	Yet to be assign to CPIO
Information Sought :	aavedan sanlagna hai		

2/0 RTI 12/13
1946
6/11

दिनांक: ५ नवंबर २०१३

प्रति,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन
सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूझबूझ का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था. मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं. **आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ.**

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजभाषा विभाग का निदेश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निदेश देता है. फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिंदी में अलग बनाई है. साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की घोर उपेक्षा की जाती है. गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है,)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएँ कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईबी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइलें (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएँगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए.
4. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधीनस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कार्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी जा रही निम्नलिखित मदों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ:

   क. पत्र-शीर्ष,
   ख. अधिकारियों के आगंतुक -पत्र (विजिटिंग कार्ड),
   ग. लिफ़ाफ़े,
   घ. प्रवेश-पास,
   ङ. रबर की मुहरें
   च. अधिकारी नामपट्ट
   छ. अधिकारी -कार्मिक परिचय-पत्र
   ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप
   झ. ऑनलाइन फॉर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत समग्रतः जारी १) **प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) कार्यालयीन ज्ञापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६)अधिसूचना, तथा ७)एंट्री फॉर्म** की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्ररूपों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-२ राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञप्तियाँ किस किस को भेजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई अधीनस्थ कार्यालयों/ब्यूरो/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की जानी चाहिए?

आवेदक

ह/-
प्रवीण जैन
ए-103, आदीश्वर सोसाइटी
सेक्टर 9ए, वाशी
नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान

Continuation of english Language for official purposes of the Union and for use in Parliament-

(1) Nothwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi,

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day; and

(b) for the transaction of business in Parliament:

Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its Official Language:

Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its Official Language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language:

Provided also that nothing in this sub-section shall be construed as preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the Union or with a State which has adopted Hindi as its official language, or by agreement with any other State, and in such a case, it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where Hindi or the English Language is used for purposes of communication-

(i) between one Ministry or Department or office of the Central Government and another;

(ii) between one Ministry or Department or office of the Central Government and any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof.;

(iii) between any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof and another,

Translation of such commmunication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry, Department, office or the corporation or company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and the English languages shall be used for-

(i) resolutions, general orders, rules, notifications, administrtative or other reports or press communiques issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company;

(ii) administrative and other reports and official papers laid before a House or the Houses of Parliament;

(iii) contracts and agreements executed, and licences, permits, notices and forms of tender issued, by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company.

Extract from Official Languages Act 1963

प्रतिवेदन - Report

Speed post

184

सं. 18015/05/2013-एन एम.IV
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नक्सल प्रबंधन प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक 15 जनवरी, 2014

सेवा में

श्री प्रवीण जैन,
103-ए, अदीश्वर हाउसिंग सोसायटी,
सेक्टर 9-ए, वाशी,
नवी मुंबई-400703

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 06.11.2013 के आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपको उक्त आवेदन की बिंदु संख्या 11 और 12 के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 09.12.2013 के पत्र सं. 21020/01/2012-हिन्दी के तहत निदेशक (राजभाषा) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि उक्त आवेदन की बिंदु संख्या 11 और 12 के बारे में अधोहस्ताक्षरी के संबंध में सूचना कृपया 'शून्य' समझी जाए।

3. इस उत्तर के संदर्भ में, धारा 19 (i) के अंतर्गत अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (एन एम), गृह मंत्रालय, कक्ष सं. 193, ए/I, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 को की जा सकती है।

ISSUED
16 JAN 2014
गृह मंत्रालय

भवदीय,

(के. एस. कुशला कुमार)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 2506

प्रति प्रेषित:-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्र, निदेशक (राजभाषा) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

O/C

16/01/14

Please issue RaI